मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर, 1992 (भाद्र 13, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिए जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त का (दिनांक 1-4-88 से 31-3-89 तक) की अवधि का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(क) रायगढ़ जांच आयोग जिला रायगढ़, मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 26 जून, 1990, द्वारा न्यायमूर्ति श्री के.एन. शुक्ला, सेवानिवृत्त न्यायधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (शासन के संकल्प सहित),

(ख) सारणी जांच आयोग, जिला बैतूल मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 22 सितम्बर, 1990, द्वारा श्री आर. सी. चन्देल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल (शासन के संकल्प सहित),

(ग) मलाजखण्ड जांच आयोग जिला बालाघाट मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 7 जुलाई, 1990 द्वारा श्री के.के. वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (शासन के संकल्प सहित), तथा

(घ) छतरपुर (प्रकाश बम्होरी) जांच आयोग, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन दिनांक 27 मई, 1991 द्वारा श्री डी.आर. पुण्डलीक, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (शासन के संकल्प सहित) पटल पर रखेंगे.

(4) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (दिनांक 31 मार्च, 1990) पटल पर रखेंगे.

(5) डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 (क्रमांक 36 सन् 1982) की धारा 44 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचनायें क्रमांक एफ-15 (4) 1989- उनन्चास-10, दिनांक 10 जनवरी 1992 एवं क्रमांक एफ-15 (4) 89 उनन्चास-10, दिनांक 1 जुलाई, 1992 के द्वारा प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (भावी उपभोक्ताओं को प्रमाण-पत्र का मंजूर किया जाना) नियम 1992 एवं संशोधन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, छतरपुर जिले में अति वर्षा से हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ग्वालियर एवं मुरैना की शक्कर मिलों द्वारा कृषकों की लंबित राशि का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रेम सिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार जिले के बदनावर विधान सभा क्षेत्र में आदिवासियों की हुई हत्या की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में दूध के संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले की सपनई व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर का कुछ हिस्सा टूटने से फसलों की हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रघुराज सिंह तोमर, सदस्य पूर्वी निमाड़ जिले के अनेक क्षेत्रों में अवर्षा से फसलों की हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री धीरेन्द्र सिंह 'धीरू', सदस्य, सतना जिले के ग्राम चकर में भूख से बारह लोगों की मृत्यु होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रामरानी जौहर, सदस्य, कटनी के फारेस्टर वार्ड में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने,

(2) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य, जिला रीवा के सुरसा शा. उच्चतर विद्यालय को बजटेड करने व पर्याप्त स्टाफ सुलभ कराने,

(3) श्री चनेशराम राठिया, सदस्य, जिला रायगढ़ तहसील धरमजयगढ़ ब्लाक धर्मजयगढ़ के अंतर्गत ग्राम ससकोबा में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा मुख्य मोहल्ला आदिवासी पारा में पूर्व मा. वि. भवन निर्माण के संबंध में.

(4) श्री हरिसिंह नरवरिया, सदस्य, जिला भिण्ड विकास खण्ड मेहगांव के ग्राम कलियानपुरा रजगादिया, दोनियापुरा को गोरमी नगर पालिका से अलग किया जाकर ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने.

(5) ठा. दरबार सिंह, सदस्य -

(क) जिला राजनांदगांव विकासखंड सहसपुर लोहारा, विरेन्द्र नगर के ग्राम सूरजपुरा में मिडिल/हाई स्कूल खोले जाने,
(ख) जिला राजनांदगांव तहसील छुईखदान के अंतर्गत उदयपुर उदवहन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने,
(ग) जिला राजनांदगांव तहसील छुईखदान के अंतर्गत अमदनियां डायवर्शन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने,
(घ) जिला राजनांदगांव, तहसील छुईखदान के अंतर्गत जीराटोला टैंक का कार्य पूर्ण कराये जाने,
(ड) जिला राजनांदगांव तहसील छुईखदान के अंतर्गत बकरकट्टा टैंक का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने,
(च) जिला राजनांदगांव तहसील छुईखदान के अंतर्गत तहसील भवन में पूर्णतः सुचारू तहसील कार्य कराने,
(छ) जिला राजनांदगांव तहसील छुईखदान ब्लाक मुख्यालय की पुरानी सड़कों का निर्माण कराये जाने,

(6) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य -

(क) जिला भिण्ड, लहार के शा. महाविद्यालय में स्टाफ की व्यवस्था कराने,
(ख) जिला भिण्ड लहार के शा. महाविद्यालय में बी.एस.सी. एवं एम.ए. की कक्षायें प्रारंभ करने,
(ग) जिला भिण्ड परगना लहार के ग्राम लालपुरा की हरिजन बस्ती में नाली खुलवाने के संबंध में,
(घ) जिला भिण्ड लहार में लोक निर्माण संभाग को न हटाये जाने,
(च) जिला भिण्ड परगना लहार के ग्राम मुरावली में हाईस्कूल की कक्षायें प्रारंभ करने,
(छ) जिला भिण्ड के लहार के शा. महाविद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने,

(7) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य -

(क) जिला दुर्ग विकास खंड गुरूर के ग्राम चन्दनबिरही में सांस्कृतिक मंच एवं गोठान मरम्मत,
(ख) जिला दुर्ग, विकास खंड गुरूर के महानदी जलाशय परियोजना (क्रमांक 2) चिहौद कामुन्दाह शाखा से उप शाखा चिहौद खार से चन्दनबिरही तालाब तक बढ़ाने एवं डायवर्सन नहर मरम्मत,
(ग) जिला दुर्ग, विकास खंड गुरूर के ग्राम चन्दनबिरही के तालाब का गहरीकरण कराए जाने,
(घ) जिला दुर्ग, विकास खंड गुरूर के ग्राम चन्दनबिरही के महावीरघाट के नीचे रपटा निर्माण एवं स्टापडेम बनवाने,
(च) जिला दुर्ग विकास खंड गुरूर के चन्दनबिरही पहुंचमार्ग की मरम्मत एवं नाले पर पुल का पुनः निर्माण कराये जाने,
(छ) जिला दुर्ग, विकास खंड गुरूर के ग्राम चन्दनबिरही में दो नलकूप खनन किये जाने एवं एक नलकूप पर हैण्डपंप लगाने,
(ज) जिला दुर्ग, विकास खंड बालोद के ग्राम परसदा में टोला मुहल्ला योजना के अंतर्गत ग्राम को विद्युतीकरण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 21 फरवरी 1992 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 71) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

174

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ (निरसन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 7 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामदान (निरसन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 15 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री हिम्मत कोठारी, लोक निर्माण मंत्री, भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 8 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 17 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 10 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 9 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(7) श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1992 (क्रमांक 16 सन 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश के लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 1 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

1 घन्टा

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1992, (क्रमांक 9 सन् 1992) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

9. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/गजराज सिंह सिकरवार/जालम सिंह पटेल, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश सामान्य विक्रयकर (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 2 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

1 घन्टा

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, सामान्य विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1992, (क्रमांक 12 सन् 1992) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

11. अशासकीय विधि विषयक कार्य

5 मि. श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1992 (क्रमांक 11 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

12. अशासकीय संकल्प

45 मि. (1) सर्वश्री मदनलाल त्यागी, गोपीकृष्ण नेमा एवं अशोक शुक्ला, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि संपूर्ण देश के राज्यों में चलने वाली लाटरीज को जनहित में रोकने हेतु कानूनी कार्यवाही करें".

25 मि. (2) श्री नेमीचन्द जैन एवं श्रीमती रामरानी जौहर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"इस सदन का यह मत है कि संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण रूपेण मध निषेध लागू किया जाय".

25 मि. (3) ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में किसानों की ऋण पुस्तिकाओं में फोटो लगाने का नियम शासन अनिवार्य रूप से राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्रावधान रखें, ताकि विभिन्न सार्वजनिक व अन्य कार्यों में अलग-अलग फोटो लगाने की अनिवार्यता समाप्त कर आम जनता को राहत दी जा सके."

25 मि. (4) डा. रमेश, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

" सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने एवं विकास हेतु उक्त क्षेत्र में प्रादेशिक परिषद की स्थापना की अनुशंसा करता है."

25 मि. (5) श्री झुमुकलाल भेंडिया, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के राजस्व ग्रामों के पारे/टोलों को राजस्व ग्राम घोषित कर, शिक्षा पेयजल, स्वास्थ्य, और विद्युतीकरण की समुचित नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायें".

13. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 13 मार्च 1992 को मुख्यमंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्रमांक 4300) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 3 सितम्बर, 1992